न्यायालयः—श्रीमति नेहा ठाकुर न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, कटंगी

जिला बालाघाट(म.प्र.)

(निर्णय दिनांक 05 अप्रैल, 2024)

Registration No.- R.C.T./81/2019
Filling No.- R.C.T./429/2019
C.N.R. No.-MP5007000456-2019
Filling Date - 21/05/2019

(प्रथम सूचना रिपोर्ट/अपराध और पुलिस थाने का विवरण)

अभियोजन	**म.प्र. राज्य द्वारा प्रभारी अधिकारी, आरक्षी केन्द्र तिरोड़ी, जिला बालाघाट म0प्र0**
प्रतिनिधित्व द्वारा	**श्री सुनील पहेरिया, सहायक, जिला लोक अभियोजन अधिकारी कटंगी, जिला बालाघाट म0प्र0**
अभियुक्त	**ओजस्वी साकरे उम्र लगभग 24 वर्ष, पिता श्री कृष्णकुमार साकरे, निवासी बम्हरी, थाना तिरोड़ी, जिला बालाघाट(मध्यप्रदेश)**
प्रतिनिधित्व द्वारा	**श्री जितेन्द्र ठाकुर अधिवक्ता**

अपराध की तिथि	30.03.2019
प्र.सू.रि. की तिथि	30.03.2019
आरोप पत्र की तिथि	21.05.2019
आरोपों के विरचना की तिथि	08.07.2019
साक्ष्य प्रारंभ किए जाने की तिथि	10.09.2019
निर्णय सुरक्षित किए जाने की तिथि	04.04.2024
निर्णय की तिथि	05.04.2024
दण्डादेश, यदि कोई हो की तिथि	कुछ नहीं।

अभियुक्त का विवरण

अभियुक्त की	अभियुक्त का नाम	गिरफ्तारी की तिथि	जमानत पर रिहा किए	अपराध जिनका	दोषमुक्ति या	अधिरोपित दण्डादेश	धारा 428 द.प्र.सं. के

श्रेणी			जाने की तिथि	आरोप है	दण्डादेश		प्रयोजनार्थ विचारण के दौरान भोगी गई निरोध की अवधि
1	**ओजस्वी साकरे**			304ए भा.द.वि.	दोषमुक्त	कुछ नहीं।	00 दिवस

अभियोजन / प्रतिरक्षा / न्यायालयीन साक्षियों की सूची

क. अभियोजन साक्षी :–

श्रेणी	**नाम**	**साक्ष्य की प्रकृति** (पुलिस साक्षी, विशेषज्ञ साक्षी, चिकित्सीय साक्षी, पंच साक्षी, अन्य साक्षी)
अ.सा.01	निर्मान गजभिये	साक्षी
अ.सा.02	मिलिंद बोरकर	साक्षी
अ.सा.03	धीरज	साक्षी
अ.सा.04	सुभाष	साक्षी
अ.सा.05	नोकेश भारतकर	साक्षी
अ.सा.06	मिश्रीलाल डहरवाल	साक्षी
अ.सा.07	प्रफुल्ल राठौर	साक्षी
अ.सा.08	जितेन्द्र	मैकेनिकल परीक्षणकर्ता साक्षी
अ.सा.09	शारदाप्रसाद बनोटे	मर्ग जांच कायमीकर्ता एवं विवेचक साक्षी

अभियोजन / प्रतिरक्षा / न्यायालयीन प्रदर्शों की सूची

क. अभियोजनः–

स.क्र.	**प्रदर्श संख्या**	**विवरण**
1	प्रदर्श पी–01 / अ.सा.01	देहाती नालिसी
2	प्रदर्श पी–02 / अ.सा.01	नक्शा मौका
3	प्रदर्श पी–03 / अ.सा.01	साक्षी निर्मान गजभिये के पुलिस कथन
4	प्रदर्श पी–04 / अ.सा.01	मर्ग जांच कथन
5	प्रदर्श पी–05 / अ.सा.02	साक्षी मिलिंद बोरकर के कथन
6	प्रदर्श पी–06 / अ.सा.02	साक्षी मिलिंद बोरकर के कथन

7	प्रदर्श पी–07 / अ.सा.04	जप्ती पत्रक
8	प्रदर्श पी–08 / अ.सा.06	जप्ती पत्रक
9	प्रदर्श पी–09 / अ.सा.06	गिरफतारी पत्रक
10	प्रदर्श पी–10 / अ.सा.08	मैकेनिकल परीक्षण प्रतिवेदन
11	प्रदर्श पी–11 / अ.सा.09	शव परीक्षण प्रतिवेदन
12	प्रदर्श पी–12 / अ.सा.09	मृत्यु जांच पंचनामा
13	प्रदर्श पी–13 / अ.सा.09	प्रथम सूचना रिपोर्ट
14	प्रदर्श पी–14 / अ.सा.09	मर्ग कायमी

घ. आवश्यक वस्तुएं:–

स.क.	भौतिक सामग्री संख्या	विवरण
01	प्रदर्श पी–07 / अ.सा.04	वाहन विटारा ब्रिजा
02	प्रदर्श पी–08 / अ.सा.06	वाहन विटारा ब्रिजा के दस्तावेज

पुलिस थाना तिरोड़ी, जिला बालाघाट के अपराध क्रमांक–64 / 2019 अपराध अंतर्गत धारा–304ए भा0द0सं0, 1860 से उद्भूत प्रकरण।

....

01. अभियुक्त ओजस्वी साकरे के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 304ए के अंतर्गत इस आशय का आरोप है कि उसने दिनांक– 30.03.2019 को समय लगभग 02:00 बजे या उसके आसपास, स्थान अयूब खान का खेत मेन रोड बम्हनी एवं बोनकट्टा के बीच अंतर्गत थाना तिरोड़ी, जिला बालाघाट म0प्र0 में लोकमार्ग पर या उसके आसपास अपने आधिपत्य की कार मारूति सुजूकी की विटारा ब्रेजा इंजिन नम्बर डी.13ए.5765386 व चेचिस नम्बर एम.ए. 3एन.वाय.एफ.बी.आई.5जे.एम.483306 को उपेक्षापूर्वक अथवा उतावलेपन्न से चालित कर उसमें बैठे मृतक अजय सोनवाने की ऐसी मृत्यु कारित हुई, जो हत्या की कोटी में न आने वाले मानव वध की श्रेणी में नहीं आती।

02. अभियोजन कथा संक्षेप में इस प्रकार है कि थाना कटंगी में दिनांक 30.03.2019 को प्रार्थी निर्मान गजभिये की ओर से सहायक उपनिरीक्षक शारदाप्रसाद बनोटे ने रिपोर्ट लेख कराया कि दिनांक 30.03.2019 के 02:00 बजे

दिन की बात है, निर्मान गजभिये अपने साथी ओजस्वी साकरे, मिलिंद बोरकर के साथ ओजस्वी साकरे के घर आये थे, फिर ओजस्वी साकरे की कार विटारा ब्रेजा जिसका नम्बर नहीं आया है, उससे बोनकट्टा से निकले, धीरज अगासे और अजय सोनवारे बेरिया चौक पर मिले, उनकी गाड़ी में बैठ गये। ओजस्वी साकरे गाड़ी को चला रहा था। तब वे बोनकट्टा की ओर जा रहे थे, तभी बम्हनी और बोनकट्टा की टर्निंग के पास उनकी कार अनबैलेंस हो गयी और गाड़ी जम्प करके दो तीन बार पलटी मारकर रमेश देरकर के खेत में पलट गयी, तब वे सभी गाड़ी से उतरे और देखे तो अजय सोनेवारे को सिर पर चोट लगी थी। उसे पानी पिलाये और बोनकट्टा से गाड़ी बुलाये और तुमसर ईलाज के लिये लेकर गये थे। चिकित्सक कोडवानी ने देखकर बताया कि अजय सोनवाने की मृत्यु हो गयी है। उसे वापस लेकर आये। ओजस्वी साकरे द्वारा तेज लापरवाहीपूर्वक गाड़ी चलाने से अजय सोनवाने को चोट लगने से मृत्यु हुई है। जिस पर से अभियुक्त के विरूद्ध अ0क0 64/19 धारा 304ए भा0दं0सं0 का अपराध पंजीबद्ध किया गया। विवेचना के दौरान प्रार्थी के निशादेही पर घ ाटना स्थल से बिना नम्बर की मारूती विटारा ब्रिजा को जप्त किया गया, अभियुक्त को अभिरक्षा में लिया गया। मृतक का पी.एम. कराया गया। प्रकरण में कथन प्रार्थी, गवाहन के लिए गये, घटना–स्थल का निरीक्षण किया गया। आरोपी ओजस्वी साकरे का कृत्य अपराध धारा सदर का घटित करना सबूत पाया गया। आवश्यक अनुसंधान की कार्यवाही पूर्ण कर अभियुक्त के विरूद्ध अभियोग पत्र दिनांक 21.05.2019 को न्यायालय में पेश किया गया।

03. अभियुक्त को निर्णय की कण्डिका 1 में वर्णित अपराध की विशिष्टियां एवं आरोप पढ़कर सुनाये, समझाये जाने पर अभियुक्त के द्वारा अपराध किया जाना अस्वीकार किया। धारा 313 दं.प्र.सं. के अंतर्गत अभियुक्त परीक्षण में अभियुक्त ने स्वयं को निर्दोष होना एवं झूठा फंसाया जाना बताया है। अपनी प्रतिरक्षा में अभियुक्त के द्वारा किसी भी साक्षी का परीक्षण नहीं कराया गया है।

04. **प्रकरण के अंतिम एवं न्यायिक निराकरण हेतु निम्न विचारणीय प्रश्न है:–**

(अ) **क्या अभियुक्त ने दिनांक–30.03.2019 को समय लगभग 02:00 बजे या उसके आसपास, स्थान अयूब खान का खेत मेन रोड बम्हनी एवं बोनकट्टा के बीच अंतर्गत थाना तिरोड़ी, जिला बालाघाट म0प्र0 में लोकमार्ग पर या उसके आसपास अपने आधिपत्य की कार मारूति सुजूकी की विटारा ब्रेजा इंजिन नम्बर डी.13ए.5765386 व चेचिस नम्बर एम.ए.3एन.वाय.एफ.बी.आई.5जे.एम.483306 को उपेक्षापूर्वक अथवा उतावलेपन्न से चालित कर उसमें बैठे मृतक अजय सोनवाने की ऐसी मृत्यु कारित हुई, जो हत्या की कोटी में न आने वाले मानव वध की श्रेणी में नहीं आती ?**

सकारण विवेचना एवं निष्कर्ष

विचारणीय प्रश्न के संबंध में

05. अभियोजन साक्षी निर्मान गजभिये अ0सा01 द्वारा अपने न्यायालयीन कथनों में व्यक्त किया है कि घटना उसके न्यायालय में परीक्षण दिनांक 30.01.2024 से लगभग 04–05 वर्ष पूर्व दोपहर के बाद की है। वह थाना गया था, वह अभियुक्त ओजस्वी साकरे को जानता है, जो उसका दोस्त है। मृतक अजय सोनवाने को नहीं जानता। जब वह थाने में गया तब पुलिस ने उससे देहाती नालिसी प्र0पी0 1 के अ से अ भाग पर हस्ताक्षर कराये थे। पुलिस ने क्या लिखा था, उसे जानकारी नहीं है, सिर्फ हस्ताक्षर करने कहा तो उसने हस्ताक्षर कर दिया था। उसे इस बारे में जानकारी नहीं है कि घटना किस स्थान की है, किन्तु नक्शा मौका प्र0पी0 2 के ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। उसने इतने सारे दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किया था। पुलिस ने घटना के संबंध में पूछताछ नहीं की थी। उसने पुलिस को प्र0पी0 3 का कथन नहीं दिया था, पुलिस ने कैसे लिख लिया कारण नहीं बता सकता। उसके साथ उस समय मिलिंद बोरकर भी था। पुलिस ने उससे घटना स्थल पर कोई पूछताछ नहीं की थी, किन्तु प्र0पी0 4 के ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। साक्षी को अभियोजन पक्ष द्वारा न्यायालय की अनुमति पश्चात् सूचक प्रश्न पूछे जाने पर

उसने अभियोजन के सभी सुझावों को अस्वीकार किया है।

06. अभियोजन साक्षी मिलिंद बोरकर अ0सा02 का कथन है कि घटना उसके न्यायालय में परीक्षण दिनांक 30.01.2024 से लगभग 02–03 वर्ष पूर्व दोपहर बम्हनी की है। वह अभियुक्त ओजस्वी साकरे को जानता है, जो उसका दोस्त है। मृतक अजय सोनवाने को नहीं जानता। उसे घटना के बारे में कोई जानकारी नहीं है। ऐसा नहीं हुआ कि वह और ओजस्वी वाहन में बैठकर जा रहे थे और ओजस्वी ने वाहन से दुर्घटना कारित की थी। मौके पर पुलिस ने उससे कोई पूछताछ नहीं की थी, किन्तु प्र0पी0 5 के ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। पुलिस को उसने कुछ नहीं बताया था। पुलिस ने थाना बुलायी थी और उससे हस्ताक्षर करवाये थे। पुलिस ने उससे पूछताछ कर बयान लेख नहीं किया था। उसने पुलिस को प्र0पी0 6 का ए से ए भाग का कथन नहीं दिया था, कैसे लिख लिया कारण नहीं बता सकता। साक्षी को अभियोजन पक्ष द्वारा न्यायालय की अनुमति पश्चात् सूचक प्रश्न पूछे जाने पर उसने अभियोजन के सभी सुझावों को अस्वीकार किया है।

07. अभियोजन साक्षी धीरज अ0सा03 का कथन है कि वह अभियुक्त ओजस्वी को जानता है, जो उसका दोस्त है। घटना उसके न्यायालय में परीक्षण दिनांक 15.02.2024 से लगभग 05–06 साल पूर्व दोपहर की है, किन्तु कितने बजे की है, उसे याद नहीं है। घटना ग्राम बम्हनी की है, उसे जानकारी नहीं है कि घटना कहां हुई थी। उसे सिर्फ इतना पता है कि गांव के बाहर एक्सीडेंट हुआ था। पलिस ने घटना के संबंध में उससे पूछताछ कर उसके बयान लेख किये थे। उसे घटना के बारे में कोई जानकारी नहीं है। इसी प्रकार साक्षी सुभाष अ0सा04 एवं नोकेश भारतकर अ0सा05 ने कथन किया है कि पुलिस ने उनके समक्ष कोई जप्ती की कार्यवाही नहीं की थी, किन्तु जप्ती पत्रक प्र0पी0 7 पर उनके हस्ताक्षर है। साक्षी को अभियोजन पक्ष द्वारा न्यायालय की अनुमति पश्चात् सूचक प्रश्न पूछे जाने पर उसने अभियोजन के इस सुझाव को अस्वीकार किया है कि उनके समक्ष पुलिस ने घटना स्थल

से एक विटारा ब्रिजा वाहन जप्त किया था।

08. अभियोजन साक्षी मिश्रीलाल डहरवाल अ0सा06 एवं प्रफुल्ल राठौर अ0सा07 का कथन है कि पुलिस ने उनके समक्ष कोई सम्पत्ति, दस्तावेज जप्त नहीं किये थे, किन्तु जप्ती पत्रक प्र0पी0 8 पर उसके हस्ताक्षर है। पुलिस ने उसके समक्ष अभियुक्त ओजस्वी को गिरफतार नहीं किया था, किन्तु गिरफतारी पत्रक प्र0पी0 9 के पर उनके हस्ताक्षर है। पुलिस ने उससे पूछताछ कर कोई कथन लेख नहीं किया था। साक्षीगण को अभियोजन पक्ष द्वारा न्यायालय की अनुमति पश्चात् सूचक प्रश्न पूछे जाने पर उसने अभियोजन के इस सुझाव को इंकार किया है कि पुलिस ने उसके समक्ष वाहन का आर0सी0 लेटर, मारूती कम्पनी के विक्रेता का लिखा हुआ लेटर जप्त नहीं किया था और अभियुक्त को गिरफतार भी नहीं किया था। अभियोजन साक्षी जितेन्द्र अ0सा08 का कथन है कि उसने कोई वाहन चलाकर नहीं देखा था, उसने कोई मैकेनिकल परीक्षण नहीं किया था, किन्तु मैकेनिकल परीक्षण प्र0पी0 10 के ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है।

09. विवेचक शारदाप्रसाद बनोटे अ0सा09 का कथन है कि वह दिनांक 30.03.2019 को थाना तिरोड़ी में सहायक उपनिरीक्षक के पद पर पदस्थ था। उसके द्वारा देहाती नालिसी अयूब खान के बताये अनुसार लेखबद्ध किया था, जो प्र0पी0 1 के बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर है। देहाती मर्ग के आधार पर जीरो पर दर्ज किया था, उसके पश्चात् उसके द्वारा मृतक का मृत्यु जांच पंचनामा प्र0पी0 12 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। उसके द्वारा घटना स्थल का पंचनामा बनाया गया था, जो प्र0पी0 2 है, जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर है। उसके द्वारा साक्षी निर्मल, धीरज, मिलिंद के बताये अनुसार कथन लेखबद्ध किया था, जो प्र0पी0 4, 5 है। विवेचना के दौरान मृतक का पी0एम0 रिपोर्ट प्राप्त किया था, जो प्र0पी0 11 है। वाहन मालिक को उसके द्वारा प्रकरण में धारा 133 मो0या0अधि0 का नोटिस नहीं दिया था। उसके द्वारा थाना आकर अ्यूब खान के बताये अनुसार मर्ग कार्यवाही मर्ग क्र0 9/19 तैयार

किया था, जो प्र0पी0 14 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। प्रथम सूचना रिपोर्ट उसके द्वारा लेखबद्ध की गयी थी, जो प्र0पी0 13 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। उसके द्वारा घटना स्थल से ओजस्वी से मारूती कम्पनी के वाहन का इंटाइंस लेटर जप्त कर जप्ती पत्रक प्र0पी0 8 तैयार किया था। घटना स्थल से वाहन जप्त कर जप्ती पत्रक प्र0पी0 7 तैयार किया था। अभियुक्त का अभिरक्षा पत्रक प्र0पी0 9 तैयार किया था। उसके द्वारा साक्षी निर्मल गजभिये, अनिता देरकर, धीरज अगासे, मिलिंद बोरकर के कथन उनके बताये अनुसार लेखबद्ध किया था। विवेचना के दौरान उसके द्वारा वाहन का मैकेनिकल परीक्षण प्र0पी0 10 कराया था। उसके द्वारा घटना के संबंध में वाहन मालिक को धारा 133 मो0या0अधि0 का नोटिस नहीं दिया था।

10. देहाती नालसी प्र0पी01, प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र0पी0 13 एवं अभियुक्त द्वारा पी0एम0 रिपोर्ट प्र0पी0 11 स्वीकारोक्ति के आधार पर यह प्रमणित होता है कि घटना दिनांक 30.03.2019 को मृतक अजय सोनवाने की एक्सीडेंट से मृत्यु कारित हुई थी।

11. अब यह देखा जाना है कि क्या मृतक अजय सोनवाने की मृत्यु अभियुक्त ओजस्वी के उपेक्षा एवं लापरवाही के कारण हुई थी ? इस संबंध में किसी भी अभियोजन साक्षी द्वारा घटना का समर्थन नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त घटना के चक्षुदर्शी साक्षी निर्मान गजभिये अ0सा01, मिलिंद बोरकर अ0सा02, धीरज अगासे अ0सा03 द्वारा भी घटना का समर्थन ना करते हुये उक्त साक्षीगण द्वारा मृतक अजय सोनवाने को पहचानने से भी इंकार किया है।

12. इसके अतिरिक्त जप्ती एवं गिरफतारी के साक्षी मिश्रीलाल डहरवाल अ0सा06 एवं प्रफुल्ल राठौर अ0सा07 द्वारा भी जप्ती पत्रक प्र0पी0 8 एवं गिरफतारी पत्रक प्र0पी0 9 उनके समक्ष बनाये जाने से इंकार किया है। इसके अतिरिक्त जप्ती के अन्य साक्षी सुभाष अ0सा04 एवं नोकेश भारतकर अ0सा05 द्वारा भी उनके समक्ष कोई भी सम्पत्ति जप्त ना होना एवं जप्ती पत्रक प्र0पी0 7 उनके समक्ष बनाये जाने से इंकार किया है। इस प्रकार जप्ती पत्रक

प्र0पी0 7 एवं 8 एवं गिरफतारी पत्रक प्र0पी0 9 संदेहास्पद प्रतीत होता है। इसके अतिरिक्त अभियोजन साक्षी जितेन्द्र अ0सा08 द्वारा भी जप्तशुदा वाहन का मैकेनिकल परीक्षण किये जाने से इंकार किया है। साक्षी द्वारा अपने प्रतिपरीक्षण की कण्डिका 2 में यह स्वयं स्वीकार किया है कि पुलिस के कहने पर उसने प्र0पी0 10 पर हस्ताक्षर किया था। साक्षी द्वारा यह भी स्वीकार किया गया है कि मैकेनिकल परीक्षण प्र0पी0 10 में क्या लिखा था, उसे पढ़कर नहीं सुनाया था इस प्रकार मैकेनिकल परीक्षण प्रतिवेदन प्र0पी0 10 भी संदेहास्पद प्रतीत होता है। अभियोजन की ओर से इसके अतिरिक्त विवेचक शारदाप्रसाद बनोटे अ0सा09 का परीक्षण किया गया, परंतु घटना के संबंध में इस साक्षी की कोई प्रत्यक्ष साक्ष्य नहीं हैं अतः सारवान साक्ष्य के अभाव में इस साक्षी की अभिसाक्ष्य से अभियोजन के मामले को कोई लाभ प्राप्त नहीं होता है।

13. उपरोक्त साक्ष्य विवेचना के आलोक में अभियोजन ने आरोपित दोषारोप को युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित नहीं किया है आपराधिक मामलों का यह मूलभूत सिद्धांत है कि सिद्धिभार अभियोजन पर होता है जिसे उसे युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करना होता है। जब तक अभियोजन अपना सिद्धिभार उन्मोचित नहीं कर देता है तब तक अभियुक्त से यह अपेक्षा नहीं की जा सकती है कि वह अपने बचाव को संभावित करे। इस संबंध में मान्नीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा न्याय दृष्टांत **Kailash Gour Vs State of Assam, (2012) 2 SCC 34** में प्रतिपादित यह विधि अनुसरणीय है कि– *“Accused is presumed to be innocent till he is proved to be guilty. Suspicion howsoever strong can never take place of proof. There is indeed a long distance between accused 'may have committed the offence' and 'must have committed the offence' which must be traversed by the prosecution by adducing reliable evidence.”*

14. हस्तगत मामले में अभिलेख पर जो साक्ष्य प्रस्तुत की गई है वह अभियुक्त के विरूद्ध अभियोजन के सिद्धिभार को उन्मोचित करने हेतु पर्याप्त

नहीं है। तदनुसार यह युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित नहीं होता है कि अभियुक्त ने दिनांक– 30.03.2019 को समय लगभग 02:00 बजे या उसके आसपास, स्थान अयूब खान का खेत मेन रोड बम्हनी एवं बोनकट्टा के बीच अंतर्गत थाना तिरोड़ी, जिला बालाघाट म0प्र0 में लोकमार्ग पर या उसके आसपास अपने आधिपत्य की कार मारूति सुजूकी की विटारा ब्रेजा इंजिन नम्बर डी.13ए.5765386 व चेचिस नम्बर एम.ए.3एन.वाय.एफ.बी.आई.5जे.एम.483306 को उपेक्षापूर्वक अथवा उतावलेपन्न से चालित कर उसमें बैठे मृतक अजय सोनवाने की ऐसी मृत्यु कारित हुई, जो हत्या की कोटी में न आने वाले मानव वध की श्रेणी में नहीं आती।

15. परिणामतः **ओजस्वी ठाकरे** को भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा– **304ए** के अधीन दंडनीय अपराध के आरोप से **दोषमुक्त** कर इस मामले से स्वतंत्र किया जाता है।

16. प्रकरण में अभियुक्त के जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।

17. प्रकरण में जप्तशुदा वाहन कार मारूति सुजूकी की विटारा ब्रेजा इंजिन नम्बर डी.13ए.5765386 व चेचिस नम्बर एम.ए.3एन.वाय.एफ.बी.आई.5जे.एम. 483306 मय दस्तावेज उसके स्वामी को सुपुर्दगी पर दिया गया। उक्त सुपुर्दगीनामा अपील अवधि पश्चात् भारमुक्त समझा जावे। अपील होने की दशा में निराकरण अपीलीय न्यायालय के आदेशानुसार किया जावे।

18. प्रकरण में अभियुक्त की अन्वेषण जांच, विचारण दौरान निरोध की अवधि शून्य दिवस है। उक्त संबंध में उसका दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 428 के अंतर्गत पृथक से विवरण पत्रक तैयार किया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में मेरे द्वारा हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर घोषित।

(श्रीमति नेहा ठाकुर)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
कटंगी, जिला बालाघाट (म0प्र0)

मेरे निर्देश पर टंकित।

(श्रीमति नेहा ठाकुर)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
कटंगी, जिला बालाघाट (म0प्र0)